



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 28 मई, 2008 / 7 ज्येष्ठ, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

Shimla-2, the 28th May, 2008

1. AGRICULTURE

No.Shram (A)4-8/2006(M.W.).—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of Agriculture may be revised in respect of un skilled workers with effect from 1.1.2008;

And whereas the proposal for the revision of minimum rates of wages in this employment was notified vide Notification of even number dated 22.1.2008 and published in Himachal Pradesh Rajpatra dated 31.1.2008 under Clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948(Act No. 11 of 1948), for general information and inviting objections/suggestions;

And whereas objections/suggestions were received from the general public and the same were considered at the Government level. Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the State Minimum Wages Advisory Board is pleased to revise the minimum rates of wages as under:-

Un-skilled workers Rs.100/- per day or Rs.3000/- per month.

NOTE

1. These rate shall be effective w.e.f. 01-01-2008
2. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or nonadult for the same and similar nature of work.
3. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
4. Where any class of work is performed on piece work basis, the time rate prescribed for the particular category shall be guaranteed for that category.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:--

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

Sd/-

A.C.S.

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

तारीख

शिमला- 2

28/5/2008

1.कृषि

संख्या श्रम (ए) 4-8-2006(एम.डब्ल्यू.) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि कृषि के अनुसूचित नियोजन की बाबत अकुशलता और अन्य वर्गों के कामगारों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों को 1.1.2008 से निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया जाए ।

और यतः वेतन दर पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव जनसाधारण की सूचनार्थ/ आपत्ति के लिये अधिसूचना सम संख्या 22/1/2008 द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र दिनांक 31/1/2008 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा 2 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था ।

और यतः जन साधारण से आपत्ति व सुझाव प्राप्त हुये जिन्हें सरकार स्तर पर विचारा गया ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा-1 (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के उपरान्त कथित व्यवसाय के न्यूनतम वेतन दर निम्नलिखित रूप से पुनः निर्धारित करने के आदेश देते हैं :-

अकुशल कर्मकारों 100 रुपये प्रतिदिन या 3000 रुपये प्रतिमाह

टिप्पणी

1. यह दरें दिनांक 1-1-2008 से प्रभावी होंगी ।
2. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
3. शिक्षु की मजदूरी प्रशिक्षता अधिनियम,1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
4. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी समय दर आधार पर देय होगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 25% की बढ़ोतरी देय होगी।

अकुशल: कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्लित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए ।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/-

अति० मु० सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Dated Shimla-2 28/5/2008

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING

No.Shram (A)4-8/2006(M.W.)Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that minimum rates of wages in the Scheduled employment of Construction or Maintenance of Stone Breaking and Stone Crushing may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1.1.2008;

And whereas the proposal for the revision of minimum rates of wages in this employment was notified vide Notification of even number dated 22.1.2008 and published in Himachal Pradesh Rajpa dated 31.1.2008 under Clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), for general information and inviting objections/suggestions;

And whereas objections/suggestions were received from the general public and the same were considered at the Government level.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the State Minimum Wages Advisory Board is pleased to revise the minimum rates of wages under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Daily	Monthly
1	2	3
UN-SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Bhithi/Chimini Cleaner/ Chowkidar/ Distemperer Grade-II/ Glazier/Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/ Pipelinemen /Electrical Coolie/Security Guard/Beldar /Cleaner-Tractor & Road Roller & concrete mixer/Majdoor /Survey Boy/ Watchmen/ Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Messhelpers/ Boy Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker	100.00	3000.00
SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/ Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/ Caneman/ Distemperer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/ Assistant Fireman/ Assistant Welder/ Assistant turner/ battery Charger/Dresser/(Qualified Experienced)/Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Julliman/ Tunnel Man / Helper (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi (3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/	110.00	3300.00

Enquiry Attendant/Telephone Attendant. (I.T.I certificate holder who are working in other trade.)

Stone Breaker/Rock carrier Breaker/Stone Carrier 1½
inch to 2 inch Rs. 753.00 1 to 1¼ inch
Rs. 844.00

SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / Sanitary Fitter Grade-I/ Upholster Grade-I/Asstt. Pump Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/ Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/ Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/ Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/ Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop Fitter / Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter / Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/ Jack Hammer Fitter/ Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/ Roelain Operator/ Scrapper Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ B Plant Operator/ Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/ Traction Battery Charger/ Line Man/ Telephone Operator/ Khalssi / Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter /Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable Joiner/Foreman Grade-II/Khalasi(8 years to above) /Tracer Operator E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate / Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set Operator /Wireless Operator/Workshop Forman Grade-II. (I.T.I. certificate holder who are placed in same trade.)	126.00	3780.00

HIGHLY SKILLED	Rupees	Rupees
Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/ChargemanGrade-I/Workshop Foreman Grade-I/TurnerGrade-I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/ Machinist / Compounder (Qualified) Road Roller Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/ Chemical Analyser.	161.50	4845.00

Clerical and non Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store Keeper/ Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/ Bill Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint Attendant/ Ferro Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor) Clerk/ Mechanic Inspector / Assistant Store Keeper/Accounts Clerk/Stenographer.	126.00	3780.00

NOTE

1. These rate shall be effective w.e.f. 01-01-2008
2. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
3. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
4. Where any class of work is performed on piece work basis, the time rate prescribed for the particular category shall be guaranteed for that category.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the 'Under Construction Hydro- Electric Projects' in Tribal Areas, an additional 10 % increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees."

By order,

Sd/-

A.C.S. (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh)

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

तारीख

शिमला-2

28/5/2008

2. सड़क और भवन क्रिया निर्माण,
पत्थर पिसाई/क्रशिंग/पत्थर तुड़ान

संख्या श्रम (ए) 4-8-2006(एम.डब्ल्यू.) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सड़क और भवन क्रिया निर्माण, पत्थर पिसाई/क्रशिंग/पत्थर तुड़ान के अनुसूचित नियोजन की बाबत अकुशलता और अन्य वर्गों के कामगारों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों को 1.1.2008 से निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया जाए।

और यतः वेतन दर पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव जनसाधारण की सूचनार्थ/ आपत्ति के लिये अधिसूचना सम संख्या 22/1/2008 द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र दिनांक 31/1/2008 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा 2 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था।

और यतः जन साधारण से आपत्ति व सुझाव प्राप्त हुये जिन्हें सरकार स्तर पर विचारा गया।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनिय संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा-1 (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के उपरान्त कथित व्यवसाय के न्यूनतम वेत दर निम्नलिखित रूप से पुनः निर्धारित करने के आदेश देते हैं :-

कामगारों का वर्ग	पुनरीक्षित दैनिक	न्यूनतम मजद मसिक
1	2	3
अकुशल कामगार	रु. पै.	रु. पै.
<u>भिशती/चिमनी क्लीनर/चौकीदार/डिस्टैम्पर ग्रेड- ५ / गलैजियर /पलम्बर का हैल्पर या-वर्कशाप/राक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/ बिटुमन के लिये स्प्रे मैन/पाइप लाईन मैन /इलैक्ट्रिकल कुली /सिक्थोरिटी-गार्ड /बेलदार/ क्लीनर ट्रेक्टर / रोड़ रोलर व कंकरीट मिक्सर / मजदूर सर्वे बाँय/ वाचमैन /पीअॅन वाचमैन / टी बाँय / पीअॅन ड्रेसर्ज / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बाँय / हैल्पर (0 से 5 साल) /खलासी (0 से 3 साल) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर / मक्कर</u>	100.00	3000.00
अर्द्धकुशल कर्मकार:	रु. पै.	रु. पै.
कारपेन्टर ग्रेड-11/ मैसन ग्रेड-11/ <u>स्युअर</u> मैन / बलैक स्मिथ ग्रेड-11 / सैनिटरी फिटर ग्रेड- 11/ पेन्टर/मैल्टर मेट/ सड़क का स्प्रे-मैन / केन-मैन / बघाणी / अपहोल-स्टर / फिटर एटैन्डेन्ट/ ब्लैक स्मिथ (बोट मैन) / केन-मैन / डिस्टैम्पर ग्रेड- 11 फिटर ग्रेड- 11 / फ्लोर-पालिशर / स्टोन ड्रेसर्ज /माली / बैल-सिंकर / वाइट-वाशर/टी.मेट/ वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड 11 , टर्नर-ग्रेड- 11 / पाइप फिटर ग्रेड- 11 / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर / सहायक फायर मैन / सहायक वैलडर / सहायक टर्नर / वैटरी चार्जर / डैसर्ज / (अर्हित/अनुभवी) /हैमर मैन / कुक / बल्कनाईज़र/नोजल मैन / टनल मैन / एलाए ट्रौली आपरेटर / / एटैन्डेन्ट (स्टोर	110.00	3300.00
आफिस) मर्केनिकल एटैन्डेन्ट / टनल जुबली मैन / टनल-मैन / हैल्पर (5 साल या अधिक) आयल-क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड-वाचमैन / सहायक-लैवलर / / खलासी (3 से 8 साल) / स्टोन-ड्रेसर्ज / पम्प-एटैन्डेन्ट / आटो इलैक्ट्रिशियन ग्रेड- 11 / गार्डनर / गाज-रीडर / सहायक लैव एटैन्डेन्ट / आटो इलैक्ट्रिशियन/ मोटर-मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट. आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो अन्य देड में कार्यरत है ।		
स्टोन-ब्रेकर / राक ब्रेकर / स्टोन-कैरियर	<u>1-1/2"</u> से 2" <u>1-1/4"</u>	रुपये 753.00 फुट रुपये 844.00 फुट

कुशल कामगार	रु. पै.	रु. पै.
कारपेन्टर ग्रेड- 1/ मैसन ग्रेड- 1/ ब्लैक स्मिथ ग्रेड / अप-होलसल्टर ग्रेड- 1 / सहायक पम्प ओपरेटर / पम्प ओपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैन- ग्रेड. 11 / जल आपूर्ति/ फिटर/ कारपेन्टर-ग्रेड- 2 / काम्प्रेसर आपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड- 1/दर्जी या टेलर ग्रेड- 11 / क्रशर ड्राइवर / फिटर ग्रेड- 11 / अलंकारिक कार्य के लिये स्टोन-ड्रेसर / पलम्बर ग्रेड- 11 / आटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर-आपरेटर / संरचनात्मक फिटर ग्रेड-11 / वर्कशाप फिटर/ जनरेटर आपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / कशिग प्लांट फिटर (वी.) / प्लांट फिटर / जैक हैम्पर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शोपर / आटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रिफ्रिजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर-आपरेटर/ शाफ्ट माइनर / कोच रिंग आपरेटर / डोजर आपरेटर / रोकलेन आपरेटर / सकेपर-आपरेटर / लोडर आपरेटर / क्रेन-आपरेटर / युकलिड-आपरेटर / बैगन डिलर आपरेटर / बोरिंग-आपरेटर / एस.एल.डी. क्रेन आपरेटर (बी.) / प्लांट-आपरेटर / आइस प्लांट आपरेटर या बैल्डर / गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन स्मिथ / ट्रैक्शन बैटरी चार्जर / लाइनमैन (लाइसेन्स सहित) / टेलीफोन आपरेटर / खलासी (खालसी) जमादार / बाइन्डर/ब्लारूटर ड्रिलर / बिन्च फिटर गलासटर / डिलर / कम्पाउन्डर / पेन्टर / मिलर / क्लाइमबर / मोल्डर / लेवर रसोसमिल / कटर / केबल जवाइन्टर/ फोरमैन ग्रेड-11 / खलासी (8 साल व अधिक) / ट्रेसर आपरेटर / ई.एम.ई. / ड्राइवर / कमप्रेसर/ लोको-आपरेटर / रौकर शावल आपरेटर / स्नो कटर आपरेटर / गलेजड टाइपड कार्य के लिए मैसन / होल डिलर / / वर्क-मिस्त्री / मोटर-मेट / टैक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी.जी.सेट. आपरेटर / वायरलैस मैन आपरेटर / वर्कशाप फोर मैन- ५ आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है ।	126.00	3780.00
अति कुशल मजदूर	रु. पै.	रु. पै.
केवल फर्नीचर के लिये कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड- 1 / चार्ज मैन ग्रेड- 1/ वर्कशाप फोरमैन ग्रेड- 1 / टर्नर ग्रेड- 1 / मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / इलैक्ट्रीशियन / संरचनात्मक फिटर ग्रेड- 1 / सर्वेयर / ड्राफ्टस-मैन / सहायक फोरमैन / मकैनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अर्हित) / रोड रोलर / ड्राइवर / बुल-डोजर ड्राइवर/ वायरमैन / आटो इलैक्ट्रीशियन इलैक्ट्रीशियन / कैमिकल एनालाइजर लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण(कर्मचारिवृद) स्टाफ: बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर /	161.50	4845.00
	126.00	3780.00

स्टोर-कीपर / स्टोर-मुंशी सुपर वाइजर / मीटर -रीडर / लैजर बुकिंग कलर्क / बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्प्लेंट एटैन्डेन्ट / फ़ैरो-प्रिंटर / ड्राइवर (जीप / कार / ट्रैक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंस्पैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टनोग्राफर

टिप्पणी

1. यह दरें 1-1-2008 से प्रभावी होंगी ।
2. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
3. शिक्षु की मजदूरी प्रशिक्षता अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
4. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी समय दर आधार पर देय होगी ।
5. सुरंग के अन्दर कार्यरत कामगारों की मजदूरी की न्यूनतम दरों पर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय होगी ।
6. हिमाचल प्रदेश के गैर-जनजातीय क्षेत्रों में धनिमार्णाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 25% की बढ़ोतरी देय होगी ।
7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 25% की बढ़ोतरी देय होगी अगर निमार्णाधीन जल विद्युत परियोजनाएँ जनजातीय क्षेत्र में हैं तो इसमें कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 10% अतिरिक्त बढ़ोतरी देय होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए ।
- (2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा न उचित निवर्हन के कार्य के लिए और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता हो किन्तु उसे समुद्देशित कर्तव्यों के या सम्बन्धित छोटे इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित होगा ।
- (3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सकें । वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।
- (4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सकें ।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/-

अति० मु० सचिव (श्रम एवं रोजगार)

हिमाचल प्रदेश सरकार

DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Dated Shimla-2 28/5/2008

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

No.Shram (A)4-8/2006(M.W.) Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of Public Motor Transport may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1.1.2008;

And whereas the proposal for the revision of minimum rates of wages in this employment was notified vide Notification of even number dated 22.1.2008 and published in Himachal Pradesh Rajpatra dated 31.1.2008 under Clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948(Act No. 11 of 1948), for general information and inviting objections/suggestions;

And whereas objections/suggestions were received from the general public and the same were considered at the Government level.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the State Minimum Wages Advisory Board is pleased to revise the minimum rates of wages as under:-

General Staff Unskilled Rs.100/- per day, Rs.3000/- per month

- (a) Peon , Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter, Daftri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)

Workshop Mazdoor without having any experience

Rs.100/- per day, Rs.3000/- per month

Semiskilled

Rs.106/- per day, Rs.3180/- per month

1. Asstt. Electrician
2. Asstt. Mechanic
3. Asstt. Fitter
4. Asstt. Black Smith
5. Asst. Carpenter
6. Asstt. Welder
7. Asstt. Turner
8. Asstt. Boring Barman
9. Asstt. Machinist
10. Asstt. Cushion Maker
11. Asstt. Vulcanisor
12. Asst. Painter
13. Asstt. Upholster
14. Asstt. Tyreman
15. Asstt.Sprayman
16. Asstt. Electrician Mechanic
17. Asstt. Retrader
18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma .The I.T.I certificate holder who are working in other trade.
19. Assistant Molders.

SKILLED

Mechanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Rs. 122.00 per day or Rs.3660.00 per month.

Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Mechanic, Retreader, Molders, Turner. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The I.T.I certificate holder who are working in the same trade.)

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF

Head Mechanic Carbonator, Head Electrician, Garrage Supervisor Rs.141.50 per day (Rs. 4245.00 per month)

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.

1. Group-A

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant. Rs. 121.50 per day (Rs.3645.00 per month)

4 Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector. Rs.131.00 per day (Rs. 3930.00 per month)

5 Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier. Rs.165.50 per day (Rs.4965.00 per month)

RUNNING STAFF

	Per Day	Per month
1.Driver	Rs.144.00	Rs.4320.00
2.Conductor	Rs.127.00	Rs.3810.00
	Rs.114.00	Rs.3420.00
3.Cleaner-cum-Conductor	Rs.37.50	Rs.1125.00
4.Part-Time Booking Clerk		

NOTE

- These rate shall be effective w.e.f. 01-01-2008
- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- Where any class of work is performed on piece work basis, the time rate prescribed for the particular category shall be guaranteed for that category.
- 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.

7. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the 'Under Construction Hydro- Electric Projects' in Tribal Areas, an additional 10 % increase shall be applicable

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervise efficiently the work of skilled employees

By order,
Sd/-
A.C.S. (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

तारीख

शिमला-2

28/5/2008

3. लोक मोटर परिवहन

संख्या श्रम (ए) 4-8-2006(एम.डब्ल्यू.) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोक मोटर परिवहन के अनुसूचित नियोजन की बाबत अकुशलता और अन्य वर्गों के कामगारों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों को 1.1.2008 से निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया जाए ।

और यतः वेतन दर पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव जनसाधारण की सूचनार्थ/ आपत्ति के लिये अधिसूचना सम संख्या 22/1/2008 द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र दिनांक 31/1/2008 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा 2 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था ।

और यतः जन साधारण से आपत्ति व सुझाव प्राप्त हुये जिन्हें सरकार स्तर पर विचारा गया ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा-1 (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के उपरान्त कथित व्यवसाय के न्यूनतम वेतन दर निम्नलिखित रूप से पुनः निर्धारित करने के आदेश देते हैं :-

कर्मकारों का वर्ग	पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी	पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी
(क) जनरल स्टाफ: अकुशल चपरासी / चौकीदार / स्टोर-हैल्पर / स्वीपर / पोर्टर तथा दफ्तरी	मसिक रु. पै. रु.3000.00	दैनिक रु. पै. 100.00
(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल) वर्कशाप मजदूर जिसका कोई अनुभव नहीं अर्द्ध-कुशल :	रु. पै. 3000.00 3180.00	रु. पै. 100.00 106.00
1 सहायक इलैक्ट्रीशियन		
2 सहायक मकैनिक		
3 सहायक फिटर		
4 सहायक ब्लैक स्मिथ		
5 सहायक कारपेंटर		
6 सहायक वैल्डर		
7 सहायक टर्नर		
8 सहायक बोरिंग बारमैन		
9 सहायक मशीनिस्ट		
10 सहायक कुशन-मेकर		
11 सहायक बाल्केनाइजर		
12 सहायक पेंटर		
13 सहायक अपहोलस्टर		
14 सहायक टायरमैन		
15 सहायक स्प्रेमैन		
16 सहायक इलैक्ट्रीशियन मकैनिक		
17 सहायक रिट्रीडर		
18 वर्कशाप मजदूर (जिसके पास आ.ई.टी. आई का डिप्लोमा हो या दो वर्ष का प्रोवेशन पीरियड हो.) आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है । ।		
19 सहायक मोल्डर		

कुशल:

मकैनिक / फिटर / ब्लैक स्मिथ / कारपेन्टर / वैल्डर रु0122.00 प्रति दिन
/ बोरिंग-वायरमैन / टर्नर / मशीनिस्ट / कुशल मेकर रु. 3660.00प्रति माह
टिनस्मिथ / बालकेनाइजर / पेंटर / अपहोलस्टर सौट्टर
/ इलैक्ट्रीशियन / मकैनिक / रिट्रीडर / मोल्डर/ आई0टी0आई0
प्रमाण धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है ।

उच्च कुशल

वर्कशाप स्टाफ हैड मकैनिक कारबोरेटर हैंड इलैक्ट्रीशियन / रु0141.50 प्रति दिन
गैरेज सुपर वाईजर जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) रु. 4245.00प्रति माह
इत्यादि

गुप - ए :

आउट एजेंट / आउट एजेंसी क्लर्क / टाइपिस्ट / स्टैनो
 टाइपिस्ट / टाइपिस्ट स्टोर / डे बुक राइटर / क्लर्क /
 सहायक कैशियर / बुकिंग-क्लर्क / रिस्टोर / लैजर कीपर /
 पेट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट ।

रु0121.50 प्रति दिन

रु. 3645.00 प्रति माह

गुप-बी

मुख्य-निरीक्षक / स्वागतकर्ता / निरीक्षक / चौकर /
 आशुलिपिक ए गुप / स्टेशन सुपरवाइजर / सहायक स्टोरकीपर
 ए ग्रेड / लेखाकार / कैशियर / टायर-निरीक्षक ।

रु0131.00 प्रति दिन

रु. 3930.00

प्रति माह

गुप-सी

हैड एसिस्टेंट / मुख्य-लिपिक / ओडिटर / हैड-कैशियर ।

रु0165.50 प्रति दिन

रु. 4965.00 प्रति माह

रनिंग-स्टाफ

1 ड्राइवर

रु0144.00 प्रति दिन

रु. 4320.00 प्रति माह

2 कन्डक्टर

रु0127.00 प्रति दिन

रु. 3810.00 प्रति माह

3 क्लीनर कम कन्डक्टर

रु0114.00 प्रति दिन

रु. 3420.00 प्रति माह

4 पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्क

रु0 37.50 प्रति दिन

रु. 1125.00 प्रति माह

टिप्पणी

1. यह दरें दिनांक 1-1-2008 से प्रभावी होंगी ।
2. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यवस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
3. शिक्षु की मजदूरी प्रशिक्षता अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
4. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी समय दर आधार पर देय होगी ।
5. सुरंग के अन्दर कार्यरत कामगारों की मजदूरी की न्यूनतम दरों पर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय होगी ।
6. हिमाचल प्रदेश के गैर-जनजातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 25: की बढ़ोतरी देय होगी ।
7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 25: की बढ़ोतरी देय होगी अगर निमार्णाधीन जल विद्युत परियोजनाएँ जनजातीय क्षेत्र में हैं तो इसमें कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 10: अतिरिक्त बढ़ोतरी देय होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :—

- (1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए।
- (2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा न उचित निर्वहन के कार्य के लिए और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता हो किन्तु उसे समुद्देशित कर्तव्यों के या सम्बन्धित छोटे इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित होगा।
- (3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सकें। वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सकें।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
अति० मु० सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Dated Shimla-2 28/5/2008

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

No.Shram (A)4-8/2006(M.W.) Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of Shops and Commercial Establishments may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1.1.2008;

And whereas the proposal for the revision of minimum rates of wages in this employment was notified vide Notification of even number dated 22.1.2008 and published in Himachal Pradesh Rajpatra dated 31.1.2008 under Clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948(Act No. 11 of 1948), for general information and inviting objections/suggestions;

And whereas objections/suggestions were received from the general public and the same were considered at the Government level.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the State Minimum Wages Advisory Board is pleased to revise the minimum rates of wages as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rupees	Rupees
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoot/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing un skilled job.	Rs.100/-Daily	Rs 85/-Daily
	Rs.3000/-Monthly	Rs.2550/-Monthly
Semi-Skilled	Rupees	Rupees
Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/ Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asst. Lineman / Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector /Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher/ Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Assistant Turner/ AssistantWelder/ Assistant Electrician/ AssistantSalesman/ Assistant Barbar/ Dhobi, Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/ Waiter, Bearer (Indian Style Hotel), Assistant Radio Machanic/Painter/ White Washer/ Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric), Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machine man. Enquiry Attendent/ Telephone Attendent,ITI Certificate Holder who are working in other trade.	109.00 Daily	94.00 Daily
	3270.00 Monthly	2820.00 Monthly.
Skilled:	Rupees.	Rupees.
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio	126.00 Daily	111.00 Daily
Machenic/Carpenter/Plumber/Driver/ Assistant Tailor/Cutter (Tailoring) /Generalmechanic/ Halwai/ Cook/ Confectioner/ Baker/ Steward/ Butler/ Fitter/ Draughtsman/ TelephoneOperator/ Compounder / Goldsmith./ Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/ Compositor/ Cinema Operator/ Salesmen/ Dry cleaner/ Dyer/ Barber/ Regular machine man/machinist/ Welder/ Moulder/Cashier/ Clerk/(Matric) Munim /receptionist/ Waiter/Bearer/ (Western Style Hotels) / Storekeeper/ headwaiter /Head bearer (Western Style Hotels)/Lineman I.T.I certificate holder who are working in the same trade.	3780.00P.M.	3330.00 P.M

And such other employees not shown in the list but doing work of skilled nature as mentioned on next page.

Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/	134.00 P.D	119.00 P.D
Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head	4020.00.P.M	3570.00 P.M
Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/		
Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)		

NOTE

1. These rate shall be effective w.e.f. 01-01-2008
2. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
3. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
4. Where any class of work is performed on piece work basis, the time rate prescribed for the particular category shall be guaranteed for that category.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-

A.C.S. (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

तारीख

शिमला-2 28/5/2008

4. दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के व्यवसाय

संख्या श्रम(ए) [4-8-2006\(एम.डबल्यू.\)](#) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के व्यवसाय के अनुसूचित नियोजन की बाबत अकुशलता और अन्य वर्गों के कामगारों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों को 1.1.2008 से निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया जाए।

और यतः वेतन दर पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव जनसाधारण की सूचनार्थ/ आपत्ति के लिये अधिसूचना सम संख्या 22/1/2008 द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र दिनांक 31/1/2008 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा 2 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था।

और यतः जन साधारण से आपत्ति व सुझाव प्राप्त हुये जिन्हें सरकार स्तर पर विचारा गया।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा-1 (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के उपरान्त कथित व्यवसाय के न्यूनतम वेतन दर निम्नलिखित रूप से पुनः निर्धारित करने के आदेश देते हैं :-

कर्मचारियों का वर्ग

पुनरीक्षित

न्यूनतम मजदूरी

प्रतिदिन जहां पर प्रतिमास जहां पर भोजन
कोई लाभ नहीं चाय, और स्वतन्त्र आवास
मिलता हो । आदि का प्रावधान हो ।

अकुशल

हेल्पर / शोप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार /
चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची
/ गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर / पैकर
/ पैकर मजदूर / लेवरर / अनलोडर /
मसेंजर / शोरटर / क्लैकरूम अटेंडेन्ट /
/ बेलदार / फायरमैन / पंडी /
पोस्टमैन / कोई अन्य कामगार जो अकुशल
कार्य कर रहा हो ।

100.00
3000.00

85.00 प्रतिदिन तथा
2550.00 प्रतिमाह

अर्द्ध-कुशल

सावरमैन / वाइट-वाशर / कुक/पोरटर /
पैटरीमैन / काफ़ी टी-मेकर / चपातीमैन
/ सहायक-बेकर / गेट-कीपर सिनेमा/
लाइनमैन / सहायक-आपरेटर / वाइंडर /
बिल-कलैक्टर/कनवैसर / एसिस्टेंट-हलवाई/
बुक-बाइंडर/स्टीचर/ रूलिंग-कटिंग/
औक्सनर/ माली/ होटल-गाइड / सहायक
मिस्त्री / सहायक-फिटर / सहायक-टर्नर
/ सहायक-इलैक्ट्रीशियन / सहायक-वैल्डर
/ सहायक-सेल्जमैन / सहायक-बारबर /
घोबी / प्रैसमैन / ब्वायलर-मैन /

109.00 प्रतिदिन तथा 94.00 प्रतिदिन तथा
3270.00 रु. प्रतिमाह 2820.00रु. प्रतिमाह

फिल्म-रिवाइंडर / वेटर / वीयरर (इण्डियन
स्वाइल होटल) / ऐसिस्टेंट रेडियो
मकैनिक / पेंटर / / पकौड़ा एवं चना
मेकर / कलर्क (दसवीं कक्षा से नीचे)
सहायक स्टोर कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर /
सहायक-मशीनमैन/ इनक्वाअरि एटैन्डेन्ट /
टेलीफोन एटैन्डेन्ट. आई0टी0आई0 प्रमाण
धारक जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है ।

कुशल:

ब्लैक स्मिथ / टीनस्मिथ / वाचमेकर /
रेडियो मकैनिक / पलम्बर / कारपेंटर /
ड्राइवर / हलवाई / जनरल मकैनिक कुक
कन्फैक्शनर / बेकर स्वावार्ड / बटलर-फिटर
/ ड्राफ्टसमैन / टेलीफोन-ओपरेटर /
सहायक-टेलर / कटर (टेलरिंग) /
कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ / शू-मेकर /
इलैक्ट्रीशियन / शाल एवं कारपेट वीविंग /
कम्पोजेटर / सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन
/ ड्राइवक्लीनर / डायर / वारबर / रफूगर
/ मशीनमैन / मशीनिस्ट / वेल्डर /
सोल्डर / कैशियर क्लर्क मैट्रिकुलेट /
मुनीम / रिसैपशनिस्ट / वेटर वियरर
(वेस्टरन स्वाइल होटल) स्टोर-कीपर /
हैड वेटर / हैड-वीयरर (वेस्टरन स्वाइल
होटल) । लाइनमैन/ आई0टी0आई0 प्रमाण
धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है ।

126.00रु. प्रतिदिन 111.00रु. प्रतिदिन तथा
तथा 3780.00रु. 3330.00रु. प्रतिमाह
प्रतिमाह

और ऐसे अन्य कर्मचारी जो इस सूचि में नहीं
दर्शाए गए हैं परन्तु कुशल कार्य कर रहे हैं ।

उच्च-कुशल

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / लेखाकार 134.00रु. प्रतिदिन 119.00रु. प्रतिदिन
 / मुख्य खजानची / हैड-कुक् / 4020.00 रु. प्रतिमाह 3570.00 रु प्रतिमाह
 हैड-बटलर / हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर
 / हैड-मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन
 / सुपरवाइजर/ टेलर / कटर (टेलरिंग)
 । और ऐसे अन्य उच्च कुशल कर्मचारी जो कि
 अन्य कुशल कर्मचारी के कार्य को अच्छी तरह
 देख रेख एवं अच्छी तरह कार्य करने के योग्य
 हों ।

टिप्पणी

1. यह दरें दिनांक 1-1-2008 से प्रभावी होंगी ।
2. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
3. शिक्षु की मजदूरी प्रशिक्षता अधिनियम,1961 (1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
4. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी समय दर आधार पर देय होगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 25: की वढोतरी देय होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :—

- (1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए ।
- (2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा न उचित निवर्हन के कार्य के लिए और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता हो किन्तु उसे समुद्देशित कर्तव्यों के या सम्बन्धित छोटे इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित होगा ।
- (3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके । वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।
- (4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके ।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/—

अति० मु० सचिव (श्रम एवं रोजगार)
 हिमाचल प्रदेश सरकार

DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Dated Shimla-2 28/5/2008

5. FORESTRY INDUSTRIES

No.Shram (A)4-8/2006(M.W.) Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of Forestry Industries may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1.1.2008;

And whereas the proposal for the revision of minimum rates of wages in this employment was notified vide Notification of even number dated 22.1.2008 and published in Himachal Pradesh Rajpatra dated 31.1.2008 under Clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948(Act No. 11 of 1948), for general information and inviting objections/suggestions;

And whereas objections/suggestions were received from the general public and the same were considered at the Government level.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the State Minimum Wages Advisory Board is pleased to revise the minimum rates of wages as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages	
	Daily	Monthly
	Rs.100.00	Rs.3000.00
UNSKILLED WORKEPRS		
1 Felling of trees		
1.Lopper (Changi)	Rs.109.00	Rs.3270.00
2.Feller (Garani)	Rs.104.00	Rs.3120.00
2 Logging and sawing including timber passing		
1.Dresser (Panchani)	Rs.104.00	Rs.3120.00
2.Sawyer (Charani)	Rs.141.50	Rs.4245.00
3.Blacksmith	Rs.129.00	Rs.3870.00
3 Carriage stacking and timber passing by manual labour		
1. Mazdoor for carriage	Rs.104.00	Rs.3120.00
2. Mazdoor for loading and un loading of timber.	Rs.104.00	Rs.3120.00
4 Carriage of timber by Aerial ropeways :		
1. Span Mistry-cum-Supervisor	Rs.141.50	Rs.4245.00
2. Span Mistry	Rs.129.00	Rs.3870.00
5 Carriage by water slide (pucci Nalli) dry slide (Pathru), Nullah Bhaan Darya Bahaan (River floting):		
1. Mohri-wala Mistry	Rs.156.00	Rs.4680.00
2. Taru	Rs.147.50	Rs.4425.00
3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs.134.00	Rs.4020.00
4. Darya-man	Rs.147.50	Rs.4425.00
5. Ghalu	Rs.116.00	Rs.3480.00
6. Jamadar	Rs.116.00	Rs.3480.00
6 Mechanised logging and timber extraction		
1. Surveyor	Rs.143.00	Rs.4290.00
2. Ski-line Operator	Rs.129.00	Rs.3870.00
3. Truck Driver	Rs.117.50	Rs.3525.00

4.	Compressor Driver	Rs.117.50	Rs.3525.00
7	Clerical Staff		
1.	Manager	Rs.174.00	Rs.5220.00
2.	Accountant	Rs.120.00	Rs.3600.00
3.	Munshi Typist clerk	Rs.104.00	Rs.3120.00
8	Saw Mill Workers		
1.	Band Saw Mistry	Rs.129.00	Rs.3870.00
2.	Supervisor	Rs.127.50	Rs.3825.00
3.	Head Mistry	Rs.129.00	Rs.3870.00
4.	Boiler Driver	Rs.129.00	Rs.3870.00
5.	Assistant Mistry	Rs.106.00	Rs.3180.00
6.	Planner Mistry	Rs.106.00	Rs.3180.00
7.	Helper	Rs.104.00	Rs.3120.00
8.	Cutter man	Rs.106.00	Rs.3180.00
9	Katha Extraction		
1.	Feller and Chipper	Rs.104.00	Rs.3120.00
2.	Katha Supervisor/Katha Processor	Rs.109.00	Rs.3270.00

Highly Skilled

Boiler Attendant (1st Class) Overseer, Head Foreman= Rs. 161.50.P.D. Rs.4845. P.M.

NOTE

1. These rate shall be effective w.e.f. 01-01-2008
2. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
3. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
4. Where any class of work is performed on piece work basis, the time rate prescribed for the particular category shall be guaranteed for that category.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

Note

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices/trainees are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed in piecework basis the time rate prescribed for particular shall be guaranteed time rate.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

By order,
Sd/-
A.C.S. (Labour & Employment)

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

तारीख

शिमला-2

28/5/2008

5. फोरेस्ट्री एवं टिम्बरिंग

संख्या श्रम (ए) 4-8-2006(एम.डब्ल्यू.) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि फोरेस्ट एवं टिम्बरिंग के अनुसूचित नियोजन की बाबत अकुशलता और अन्य वर्गों के कामगारों को न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों को 1.1.2008 से निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया जाए।

और यतः वेतन दर पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव जनसाधारण की सूचनार्थ/ आपर्ण के लिये अधिसूचना सम संख्या 22/1/2008 द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र दिनांक 31/1/2008 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था।

और यतः जन साधारण से आपत्ति व सुझाव प्राप्त हुये जिन्हें सरकार स्तर पर विचार किया गया।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा-1 (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रा न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के उपरान्त कथित व्यवसाय के न्यूनतम वेतन दर निम्नलिखित रूप से पुनः निर्धारित करने के आदेश देते हैं :-

कर्मकारों का वर्ग	पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी	
	दैनिक	मासिक
1 अकुशल	रु.	रु.
वृक्षों का गिराना	100.00	3000.00
लोपर (छांगी)	109.00	3270.00
फेलर्ज (गिरानी)	104.00	3120.00
2 लागिंग स्थाई तथा टिम्बर पासिंग	रु.	रु.
1. ड्रैसर (पवानी)	104.00	3120.00
2. सायर (चिरानी)	141.50	4245.00
3. ब्लैकस्मिथ	129.00	3870.00
3 कैरेज स्टेकिंग तथा टिम्बर पासिंग बाई मैनुअल लेबर :		
1. मजदूर फार कैरेज	104.00	3120.00
2. मजदूर कुली लोडिंग / अनलोडिंग आफ टिम्बर	104.00	3120.00
4 कैरेज आफ टिम्बर बाई एरियल रोप वेज :		
1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर	141.50	4245.00
2. स्पैन मिस्त्री	129.00	3870.00
5 कैरेज बाई वैट स्लाइड (पक्की नाली) हाई स्लाइड : (पत्थर) नल्हावाहन (दरिया वाहन) रीवर फ्लोटिंग		
1. मोहरी वाला मिस्त्री	156.00	4680.00
2. तारु	147.50	4425.00
3. एसिसटेंट मिस्त्री (हेल्पर)	134.00	4020.00
4. दरियामैन	147.50	4425.00
5. घाल	116.00	3480.00
6. जमादार	116.00	3480.00

6	मकैनाइजड लोडिंग तथा टिम्बर एक्सट्रैक्शन:		
	1. स्वैयर	143.00	4290.00
	2. स्काई लाइन आपरेटर	129.00	3870.00
	3. ट्रक ड्राइवर	117.50	3525.00
	4. कम्प्रेसर ड्राइवर	117.50	3525.00
7	क्लैरिकल स्टाफ :		
	1. मैनेजर	174.00	5220.00
	2. एकाउन्टेंट	120.00	3600.00
	3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	104.00	3120.00
8	आरा मशीन वर्कर :		
	1. बैंड स्या मिस्त्री	129.00	3870.00
	2. सुपरवाइजर	127.50	3825.00
	3. हैंड मिस्त्री	129.00	3870.00
	4. वायल ड्राइवर	129.00	3870.00
	5. एसिसटेंट मिस्त्री	106.00	3180.00
	6. पलेनर मिस्त्री	106.00	3180.00
	7. काहर मैन	104.00	3120.00
	8. हैल्पर	106.00	3180.00
9	कत्था एक्सट्रैक्शन :		
	1. फेलर तथा चिपर	104.00	3120.00
	2. कत्था सुपरवाइजर/कत्था प्रौसेसर	109.00	3270.00

उच्च कुशल

बाअलर एटैण्डन्ट प्रथम श्रेणी

ओवरसियर/हैडफोरमैन

161.50

4845.00

टिप्पणी

1. यह दरें दिनांक 1-1-2008 से प्रभावी होंगी ।
2. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
3. शिक्षु की मजदूरी प्रशिक्षता अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
4. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी समय दर आधार पर देय होगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 25% की बढ़ोतरी देय होगी ।

अकुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :—

- (1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए ।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/—

अति० मु० सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Dated Shimla-2 28/5/2008

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

No.Shram (A)4-8/2006(M.W.) Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of Chemical and Chemical Products may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1.1.2008;

And whereas the proposal for the revision of minimum rates of wages in this employment was notified vide Notification of even number dated 22.1.2008 and published in Himachal Pradesh Rajpat dated 31.1.2008 under Clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), for general information and inviting objections/suggestions;

And whereas objections/suggestions were received from the general public and the same were considered at the Government level.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the State Minimum Wages Advisory Board is pleased to revise the minimum rates of wages as under:-

Category of Workers	Revised minimum rates
Unskilled	Rs. 100.00 P.D. Rs. 3000.00. P.M.
Semi Skilled	
Assistant Electrician ,Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant , Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller/Empular, Hageman. ITI Certificate Holder who are working in the other trade.	Rs.105.00 P.D. Rs.3150.00 P.M.
Skilled	
Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Blacksmith, Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machine man, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Store-keeper. I.T.I certificate holder who are working in the same trade.	Rs.112.00 P.D. Rs.3360.00 P.M.
Highly Skilled	
Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman	Rs.120.00P.D. Rs.3600.00 P.M.

NOTE

1. These rate shall be effective w.e.f. 01-01-2008

2. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
3. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
4. Where any class of work is performed on piece work basis, the time rate prescribed for the particular category shall be guaranteed for that category.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (IV) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-

A.C.S. (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

तारीख

शिमला-2

28 / 5 / 2008

6. रसायन और रसायनिक उत्पाद

संख्या श्रम (ए) 4-8-2006(एम.डब्ल्यू.) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि रसायन और रसायनिक उत्पाद के अनुसूचित नियोजन की बाबत अकुशलता और अन्य वर्गों के कामगारों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों को 1.1.2008 से निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया जाए।

और यतः वेतन दर पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव जनसाधारण की सूचनार्थ/ आपत्ति के लिये अधिसूचना सम संख्या 22/1/2008 द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र दिनांक 31/1/2008 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा 2 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था।

और यतः जन साधारण से आपत्ति व सुझाव प्राप्त हुये जिन्हें सरकार स्तर पर विचारा गया।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा-1 (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के उपरान्त कथित व्यवसाय के न्यूनतम वेतन दर निम्नलिखित रूप से पुनः निर्धारित करने के आदेश देते हैं :-

कर्मकारों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	
	प्रतिदिन	प्रतिमास
टकुशल कर्मकार	100.00	3000.00
अर्द्धकुशल कर्मकार		
एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन / एसिसटेंट फिटर / एसिसटेंट टर्नर/एसिसटेंट वैल्डर / एसिसटेंट मोल्डर / एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर / एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ / एसिसटेंट-कापरमैन / एसिसटेंट-वायरमैन / री-इरीगेशन एसिसटेंट / जमादार / ईस्ट मैन / ईस्ट-कलटीवेटर / स्विच बोर्ड अटेंडेंट / वायरमैन / पोस्ट-साल्टमैन / टायरमैन / आयलमैन / पम्पमैन ग्रेड-ए / मशीन लेवलर / सलैक्टर कटर कम मार्किट सैलर अम्पुलर हैगमैन। आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है।	105.00	3150.00
कुशल कर्मकार		
साल्टमैन / इलैक्ट्रीशियन / फिटर / कापरमैन / टर्नर / मोल्डर / वैल्डर / ब्लैकस्मिथ / प्लांट आपरेटर मैसन / कारपेंटर / एसिसटेंट-फोरमैन / हैड-जमादार / वायलर एटेंडेंट ग्रेड-ए/ वर्कशाप फोरमैन / इलैक्ट्रीशियन फोरमैन इंजन ड्राइवर / ड्राफ्टसमैन / एसिसटेंट-कैमिस्ट / मशीनमैन / कैशियर / क्लर्क (मैट्रिक) / सेल्ज मैन / स्वागतकर्ता / टाइपिस्ट / स्टोरकीपर। आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है।	112.00	3360.00
उच्च-कुशल कर्मकार		
ब्यायलर अटेंडेंट (प्रथम श्रेणी) / ओवर सीयर/ हैड फोरमैन।	120.00	3600.00

टिप्पणी

1. यह दरें दिनांक 1-1-2008 से प्रभावी होंगी ।
2. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
3. शिक्षु की मजदूरी प्रशिक्षता अधिनियम,1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
4. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी समय दर आधार पर देय होगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 25% की बढ़ोतरी देय होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :—

- (1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए ।
- (2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा न उचित निर्वहन के कार्य के लिए और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता हो किन्तु उसे समुद्देशित कर्तव्यों के या सम्बन्धित छोटे इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित होगा ।
- (3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्रत निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सकें । वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।
- (4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सकें ।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
अति० मु० सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Dated Shimla-2

28/5/2008

7. ENGINEERING INDUSTRIES

No. Shram (A) 4-8/2006 (M.W.) Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of Engineering Industries may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1.1.2008;

And whereas the proposal for the revision of minimum rates of wages in this employment was notified vide Notification of even number dated 22.1.2008 and published in Himachal Pradesh Rajpatra dated 31.1.2008 under Clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), for general information and inviting objections/suggestions;

And whereas objections/suggestions were received from the general public and the same were considered at the Government level.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the State Minimum Wages Advisory Board is pleased to revise the minimum rates of wages as under:-

Category of Workers	Revised minimum rates
Un-Skilled	
	Rs. 100.00 P.D Rs. 3000.00 P.M.
Semi skilled	
Taper Grade-I, Turner Grade-II, Driller Grade-III, Romer Grade-II, Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-II, Bragar Grade-II, Head Spinning Winder, Liner Grade-II, Press Operator Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Fixer Grade-II, Assembler Grade-II, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-II, Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-II, Grinder Grade-II, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic Operator Grade-II, Thread/Roller Operator Grade-II, Book-screw Machine Operator Grade-II, Feeder Grade-II, Dye Maker Grade-II, Welder Grade-II, Tin Smith Grade-II, Pipe Reader, Hammer man Grade-II, Electric Lineman Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman. I.T.I certificate holder who are working in the other trade.	Rs. 103.00 P.D. Rs. 3090.00 P.M.
Skilled	
Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-I, Shaper Grade-I, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Machanist/ Operator/Brager Grade-I, Liner Grade-I, Spray Painter Grade-I, Transfer Mixer Grade-I, Press Operator Grade-I, Assembler Grade-I, Tailor Grade-I, Electroplater Grade-II, Moper Grade-I, Grinder Grade-I, Head Machine Operator-I, Thread and Roller Machine Operator Grade-I, Book screw Machine Operator Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-I, Saister Grade-II, Welder Grade-I, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-I, Blacksmith	

Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-I, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, I.T.I certificate holder who are working in the same trade.	Rs. 126.00 P.D. Rs. 3780.00 P.M.
---	-------------------------------------

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator, Shaper man Grade-I, Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I, Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,	Rs.126.00 P.D. Rs. 3780.00 P.M.
--	------------------------------------

Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper.	Rs.112.00 P.D. Rs.3360.00 P.M.
--	-----------------------------------

NOTE

- 1- These rate shall be effective w.e.f. 01-01-2008
2. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
3. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
4. Where any class of work is performed on piece work basis, the time rate prescribed for the particular category shall be guaranteed for that category.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the 'Under Construction Hydro- Electric Projects' in Tribal Areas, an additional 10 % increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (v) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (vi) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (vii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (viii) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-

A.C.S. (Labour & Employment)

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

तारीख

शिमला-2

28/5/2008

7. इंजीनियरिंग उद्योग

संख्या श्रम (ए) 4-8-2006(एम.डब्ल्यू.) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि इंजीनियरिंग उद्योग के अनुसूचित नियोजन की बाबत अकुशलता और अन्य वर्गों के कामगारों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों को 1.1.2008 से निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया जाए।

और यतः वेतन दर पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव जनसाधारण की सूचनार्थ/ आपत्ति के लिये अधिसूचना सम संख्या 22/1/2008 द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र दिनांक 31/1/2008 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा 2 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था।

और यतः जन साधारण से आपत्ति व सुझाव प्राप्त हुये जिन्हें सरकार स्तर पर विचारा गया।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा-1 (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के उपरान्त कथित व्यवसाय के न्यूनतम वेतन दर निम्नलिखित रूप से पुनः निर्धारित करने के आदेश देते हैं :-

कर्मकारों का वर्ग

पुनरीक्षित
न्यूनतम मजदूरी
प्रतिदिन प्रतिमास

अकुशल

100.00 3000.00

अर्द्ध-कुशल

टेपर ग्रेड-1/ टरनर ग्रेड-11/ ड्रीलर-ग्रेड-111 रोमर ग्रेड-11 / शोयर मैन ग्रेड-111 / मशीनमैन / मशीनिस्ट / आपरेटर ग्रेड-11 ब्रागर ग्रेड-11 / हैड स्पीनिंग बाइंडर / लाइनर ग्रेड-11/ ग्रैस आपरेटर ग्रेड-11/ स्प्रे पेंटर ग्रेड-11/ ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड-11 / असैम्बलर ग्रेड-11 / कोबलर / रबर रोजिन कटर / टेलर ग्रेड-11 मैटिरियल चैकर / फिटर फ्रेम / नम्बरिंग मैन / फ्रेम सैंडर इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड- 111/ मोपर ग्रेड-!! / ग्राइडर ग्रेड- 11 / पिकलर / पालिशमैन / बूफरमैन / हैड-मकैनिक आपरेटर ग्रेड- 11/ थ्रैड रोलर आपरेटर ग्रेड- 11 / बुक स्क्यू मशीन आपरेटर ग्रेड- 11 / फीडर ग्रेड- 11/ पैटर्न मेकर ग्रेड- 11 / डाइमेकर ग्रेड- 11 / बैल्डर ग्रेड- 11/ टिनस्मिथ ग्रेड- 11 / पाइपरीडर / हेमरमैन ग्रेड- 11 / इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड- 11 / बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड- 11 / लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड 111 / आयलमैन टैपर ग्रेड-11/टर्नर ग्रेड-11/ ड्रिलर ग्रेड-1/ शैपर मैन ग्रेड-11/स्लाटरमैन ग्रेड-11/ मकैनिस्ट/आपरेटर/वरागर ग्रेड-1 लाईनर ग्रेड-1/स्प्रे पैन्टर ग्रेड-1/ ट्रांसफर मिक्सर ग्रेड-1/ असैबलर ग्रेड-1/ इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड-11/ मोपर ग्रेड-1/ग्राइडर ग्रेड-1/ हैडमशीन आपरेटर ग्रेड-1/थरैड एंव रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड-1/बुक स्कर्यू मशीन आपरेटर/ गोल्ड डरा मशीन आपरेटर ग्रेड-11/ फीटर ग्रेड-11/ पैटरन मेकर ग्रेड-11/ डाइमेकर ग्रेड -1 / साइस्टर ग्रेड-11/ वैल्डर ग्रेड-1/ टिनस्मिथ ग्रेड-11/ हैम्वरमैन ग्रेड-1/ वलैकस्मिथ ग्रेड-11/ टूलसैटर ग्रेड-11/ इलैक्ट्रीकल लाईनमैन ग्रेड-11/ इलेक्ट्रीशन ग्रेड-11/आरमैचर

वाईडर एवं क्वाईल वाईडर ग्रेड-1/ केबल ज्वाईटर ग्रेड-11/लिस्टर डीजल ईन्जन ड्राईवर ग्रेड-11/ मोल्डर ग्रेड-11/सुपरवाईजर आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है ।

कुशल कर्मकार

टर्नर ग्रेड- 1 /ग्राईडिंग मशीन आपरेटर/शेपर मैन ग्रेड- 1/ सलाटरमैन ग्रेड- 1/ मिलर ग्रेड-1 / ईलैक्ट्रो पलेटर ग्रेड-1 / गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड -1 / फिटर ग्रेड- 1/ कारपेंटर/पैटरन मेकर ग्रेड-1/डाईमेकर ग्रेड-1/व्लैकस्मिथ ग्रेड-1/डाईसैटर ग्रेड-1 /आरमेचर /वाईडर एवं क्वाईल वाईडर/टूल सैटर ग्रेड-1/ केबल ज्वाईटर ग्रेड-1/ वाउचर ईन्स्पैक्टर/ डैन्ल ग्रेड-!!/लिस्टर ईजन ड्राईवर ग्रेड-1/मोलडर ग्रेड-1/सुपरवाईजर/टर्नर स्कीलड/ग्राईडर मशीन आपरेटर स्कीलड/डाईमेकर स्कीलड/अनगैवर स्कीलड/ पैटरन मेकर स्कीलड/बलैकस्मिथ/वाउचर ईन्स्पैक्टर स्कीलड/मोलडर स्कीलड । आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है ।

126.00 3780.00

क्लैरिकल स्टाफ

कैशियर मैट्रिकुलेट / क्लर्क / सेल्जमैन / टाइपिस्ट / स्टोर कीपर ।

112.00 3360.00

टिप्पणी

1. यह दरें दिनांक 1-1-2008 से प्रभावी होंगी ।
2. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
3. शिक्षु की मजदूरी प्रशिक्षता अधिनियम,1961 (1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
4. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी समय दर आधार पर देय होगी ।
5. सुरंग के अन्दर कार्यरत कामगारों की मजदूरी की न्यूनतम दरों पर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय होगी ।
6. हिमाचल प्रदेश के गैर-जनजातीय क्षेत्रों में धनिमार्णाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 25: की बढ़ोतरी देय होगी ।
8. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 25: की बढ़ोतरी देय होगी अगर निमार्णाधीन जल विद्युत परियोजनाएँ जनजातीय क्षेत्र में हैं तो इसमें कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर पर 10: अतिरिक्त बढ़ोतरी देय होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :—

- (1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए ।

- (2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा न उचित निर्वहन के कार्य के लिए और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता हो किन्तु उसे समुनुदंशित कर्तव्यों के या सम्बन्धित छोटे इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित होगा ।
- (3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्रत निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सकें । वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।
- (4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सकें ।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
अति० मु० सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Dated Shimla-2

28/5/2008

8. TEA PLANTATION

No.Shram (A)4-8/2006(M.W.) Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of Tea Plantation may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1.1.2008*

And whereas the proposal for the revision of minimum rates of wages in this employment was notified vide Notification of even number dated 22.1.2008 and published in Himachal Pradesh Rajpatra dated 31.1.2008 under Clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948(Act No. 11 of 1948), for general information and inviting objections/suggestions;

And whereas objections/suggestions were received from the general public and the same were considered at the Government level.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the State Minimum Wages Advisory Board is pleased to revise the minimum rates of wages as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages
Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hosing ,pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;	Rs. 100.00 Per day or Rs.3000.00 per month.

A-Grade Leaves -- If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs.7.00 paise per kilogram extra as incentive.

B Grade Leaves If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs.5.50 paise per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves- If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 4.00 paise per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs.7.00 paise, Rs. 5.50 paise Rs.4.00 paise per kilogram for A,B,C grade of teas leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. Rs.103.00 per day, Rs.3090/- per month

FACTORY:

Include lift Mazdoor withering Mazdoor, relling room workers, shifting Mazdoor, fermenting room workers, tea boys , sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, Muharirs etc. who maintain records of a field work and also includes sweeper, Mali & Mate.

Adults	Daily Rs.100.00	Monthly Rs.3000.00
CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF		
OFFICE STAFF:		
7. Accountant	185.50	Rs.5565.00 per month plus free accommodation
8. Clerks	126.00	Rs.3780.00 per month plus free accommodation
9. Munshi	132.00	Rs.3960.00 per month plus free benefits as admissible to clerk
10. Peon ,Chowkidar/Chaudhary	103.00	Rs.3090.00 per month plus free benefit as admissible.
	Daily	Monthly
5. Compounder	Rs.167.50	Rs.5025.00
6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)	Rs.144.00	Rs.4320.00
7. Mechanic ,	Rs.169.00	Rs.5070.00
8. Assistant Mechanic	Rs.143.00	Rs.4290.00
9. Electrician-cum- Mechanic , Grade-I	Rs.169.00	Rs.5070.00
10. Electrician-cum- Mechanic , Grade-II	Rs.143.00	Rs.4290.00

The above rates are inclusive all allowances.

NOTE

1. These rate shall be effective w.e.f. 01-01-2008
2. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
3. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
4. Where any class of work is performed on piece work basis, the time rate prescribed for the particular category shall be guaranteed for that category.

By order,
Sd/-
A.C.S. (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

तारीख

शिमला-2

28/5/2008

8. चाय बागान

संख्या श्रम (ए) 4-8/2006(एम. डबल्यू.) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि चाय बागान के अनुसूचित नियोजन की बाबत अकुशलता और अन्य वर्गों के कामगारों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों को 1.1.2008 से निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया जाए।

और यतः वेतन दर पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव जनसाधारण की सूचनार्थ/ आपत्ति के लिये अधिसूचना सम संख्या 22/1/2008 द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र दिनांक 31/1/2008 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा 2 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था।

और यतः जन साधारण से आपत्ति व सुझाव प्राप्त हुये जिन्हें सरकार स्तर पर विचारा गया।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा-1 (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के उपरान्त कथित व्यवसाय के न्यूनतम वेतन दर निम्नलिखित रूप से पुनः निर्धारित करने के आदेश देते हैं :-

कर्मकारों का वर्ग

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी

फील्ड कामगार चाय बागान में इसमें पौधारोपण,उखाडनें स्प्रे करने,

खाद देने, छायावरण के लिए या अन्यथा कांट -छांट करने,गुडाई प्रतिदिन प्रतिमाह

करने, खरपतवार निकालने तुडाई आदि के कार्य में नियोजित 100.00 3000.00

अप्रशिक्षित मजदूर सभी आएंगे।

ए-ग्रेड पतियां तोडने वाले का वेतन — 12 किलोग्राम से अधिक प्रतिदिन यदि कोई प्लकर चाय की पतियां तोडता है तो उसे रू0 7.00 पैसे प्रतिकिलो से अतिरिक्त वेतन मिलेगा।

बी ग्रेड पतियां — 13 किलोग्राम से अधिक प्रतिदिन यदि कोई श्रमिक (प्लकर) चाय की पतियां तोडता है तो उसे रू0 5.50 पैसे प्रतिकिलो से अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।

सी ग्रेड पतियां — 16 किलोग्राम से अधिक प्रतिदिन यदि कोई श्रमिक (प्लकर) चाय की पतियां तोडता है तो उसे रू0 4.00 पैसे प्रतिकिलो से अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।

अशंकालिक श्रमिक को रू0 7.00 पैसे,रू0 5.50 पैसे,रू0 4.00 पैसे प्रति किलो की दर से ग्रेड-‘ए’,‘बी’ की चाय पतियों पर मिलेगा।

अर्द्धकुशल :

कारखाने कर्मकार एवं फील्ड स्टाफ(टी-प्लानटेशन):

103.00 रू0 प्रतिदिन, 3090.00 रू0 प्रतिमाह

कारखाना :

इसमें अटारी मजदूर,पतियों को सुखाने वाला मजदूर,सीनांतरित करने वाला मजदूर,खमीर उत्पादन करने वाले कमरे में काम करने वाले मजदूर,शिफ्टिंग मजदूर,सार्टज पैकर्स,टी-मेकर्स,टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं।

प्लानटेशन :

क्लीनर, सहायक क्लीनर, बगीचा सहायक, मोहररज इत्यादि जो खेत के काम का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर, माली तथा मेट शामिल होंगे।

व्यस्क-दैनिक रू0 100.00 मासिक रू0 3000.00

क्लैरिकल एवं नान -टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ

1. लेखाकार (185.50 रूपये प्रतिदिन) 5565.00 प्रतिमास (फिक्सड) इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास
2. लिपिक (126.00 रूपये प्रतिदिन) 3780.00 प्रतिमास तथा मुफ्त आवास
3. मुन्शी (132.00 रूपये प्रतिदिन) 3960.00 प्रतिमास तथा मुफ्त आवास
4. चपडासी/ चौकीदार/ चौधरी (103.00 रूपये प्रतिदिन) 3090.00 प्रतिमास तथा मुफ्त आवास

	प्रतिमास	प्रतिदिन
5. कम्पाउन्डर	5025.00	167.50
6. ड्राइवर (जीप/कार/ट्रैक्टर)	4320.00	144.00
7. मकैनिक	5070.00	169.00
8. एसिसटैन्ट मकैनिक	4290.00	143.00
9. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड -I	5070.00	169.00
10. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड -III	4290.00	143.00

टिप्पणी

1. यह दरें दिनांक 1-1-2008 से प्रभावी होंगी।
2. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
3. शिक्षु की मजदूरी प्रशिक्षता अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
4. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी समय दर आधार पर देय होगी।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/-

अति० मु० सचिव (श्रम एवं रोजगार)

हिमाचल प्रदेश सरकार

DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Dated Shimla-2

28/5/2008

9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948

(INCLUDING: LEATHER, CASTING INDUSTRIES, FOOD & DRINKS, BREWERIES, DISTILLERIES AND INCIDENTAL OPERATION, SHAWL WEAVING AND CARPET MAKING, TEXTILE HOSIERY/INDUSTRY, WOOD BASED FURNITURE INDUSTRIES, SAW MILLS, BRICK-KILN, CEMENT FACTORY AND MANUFACTURING OF OTHER CEMENT PRODUCTS, PAPER & PAPER PRODUCTS, ELECTRONICS INDUSTRY)

No. Shram (A)4-8/2006(M.W.) Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948, may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1.1.2008;

And whereas the proposal for the revision of minimum rates of wages in this employment was notified vide Notification of even number dated 22.1.2008 and published in Himachal Pradesh Rajpatra dated 31.1.2008 under Clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948(Act No. 11 of 1948), for general information and inviting objections/suggestions;

And whereas objections/suggestions were received from the general public and the same were considered at the Government level.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the State Minimum Wages Advisory Board is pleased to revise the minimum rates of wages as under:-

Un-skilled Workers	Rs.100.00 per day or	Rs.3000.00 per month
Semi-skilled	Rs.105.50 P.D. or	Rs.3165.00 per month
Skilled & clerical staff	Rs. 113.00 P.D. or	Rs. 3390.00 per month
Highly-Skilled	Rs.120.00 P.D. or	Rs.3600.00 per month

NOTE

1. These rate shall be effective w.e.f. 01-01-2008
2. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
3. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
4. Where any class of work is performed on piece work basis, the time rate prescribed for the particular category shall be guaranteed for that category.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of

duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-

A.C.S. (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

तारीख शिमला-2 28/5/2008

9. विनिर्माण किया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम,1948 की धारा (2) के खण्ड(क)में परिभाषित

(चमड़ा उद्योग, कास्टिंग उद्योग, खाद्य एवं पेय, मधु निर्माण शालाओं, शराब कारखानों तथा अन्य अनुसंगिक प्रचालन जैसे बोतलें भरने में नियोजन, गलीचा व शाल बुनाई के व्यवसाय, वस्त्र एवं हौजरी उद्योग के व्यवसाय, लकड़ी पर आधारित तथा फर्नीचर, आरा मशीन, ईट मट्टा, सीमेंट कारखानों तथा सीमेंट से बनने वाले अन्य उत्पाद, कागज तथा कागज उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग)

संख्या श्रम (ए) 4-8/2006 (एम. डब्ल्यू.) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि विनिर्माण किया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम,1948 की धारा (2) खण्ड(क) में परिभाषित के अनुसूचित नियोजन की बाबत अकुशलता और अन्य वर्गों के कामगारों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों को 1.1.2008 से निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया जाए ।

और यतः वेतन दर पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव जनसाधारण की सूचनार्थ/ आपत्ति के लिये अधिसूचना सम संख्या 22/1/2008 द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र दिनांक 31/1/2008 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा 2 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था ।

और यतः जन साधारण से आपत्ति व सुझाव प्राप्त हुये जिन्हें सरकार स्तर पर विचारा गया ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा-1 (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के उपरान्त कथित व्यवसाय के न्यूनतम वेतन दर निम्नलिखित रूप से पुनः निर्धारित करने के आदेश देते हैं :-

अकुशल	100रु प्रतिदिन या	3000.00रु प्रतिमाह
अर्द्ध-कुशल	105.50	3165.00रु प्रतिमाह
कुशल एवं लिपिकिय वर्ग	113.00	3390.00रु प्रतिमाह
उच्च कुशल	120.00	3600.00रु प्रतिमाह

टिप्पणी

1. यह दरें दिनांक 1-1-2008 से प्रभावी होंगी ।
2. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
3. शिक्षु की मजदूरी प्रशिक्षता अधिनियम,1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
4. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी समय दर आधार पर देय होगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 25: की बढ़ोतरी देय होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :—

- (1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए ।
- (2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा न उचित निवर्हन के कार्य के लिए और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता हो किन्तु उसे समुनुदशित कर्तव्यों के या सम्बन्धित छोटे इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित होगा ।
- (3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्रत निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सकें । वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
अति० मु० सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Dated Shimla-2

28/5/2008

10. HOTEL AND RESTAURANTS

No.Shram (A)4-8/2006(M.W.) Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of Hotel and Restaurants may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1.1.2008;

And whereas the proposal for the revision of minimum rates of wages in this employment was notified vide Notification of even number dated 22.1.2008 and published in Himachal Pradesh Rajpatra dated 31.1.2008 under Clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948(Act No. 11 of 1948), for general information and inviting objections/suggestions;

And whereas objections/suggestions were received from the general public and the same were considered at the Government level.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the State Minimum Wages Advisory Board is pleased to revise the minimum rates of wages as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalachi/ Gateman/ Waterman/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/ Bhishti/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any worker doing un-skilled job.	Rs.100/-Daily	Rs 85/-Daily
	Rs.3000/-Monthly	Rs.2550/-Monthly
	Rupees	Rupees
SEMI-SKILLED WORKER:		
Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman / Assistant	109.00 Daily	94.00 Daily
Baker/Cook/ Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel Guide /Assistant	3270.00 Monthly	2820.00 Monthly.
Mistry/ Assistant Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner /Assistant Welder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi, Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water Bearer (Indian style Hotel) Assistant Radio Mechanic/ Painter/ White Washer/ Pakora and Chana Maker/Clerk (Non-Matric), Assistant Store Keeper/Distributor and Assistant Machinman, Enquiry Attendant, Telephone Attendant. I.T.I certificate holder who are working in the other trade.		

SKILLED WORKERS :	Rupees.	Rupees.
Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/Steward/Butler/Dr aughtsman/Telephone Operator/Receptionist/Waiter/Bearer(Western Style Hotel) Store Keeper/Head Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel) I.T.I certificate holder who are working in the same trade.	126.00 Daily 3780.00P.M.	111.00 Daily 3330.00 P.M
Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)	134.00 P.D 4020. 00.P.M	119.00 P.D 3570.00 P.M

NOTE

1. These rate shall be effective w.e.f. 01-01-2008
2. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
3. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
4. Where any class of work is performed on piece work basis, the time rate prescribed for the particular category shall be guaranteed for that category.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-
A.C.S. (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

तारीख

शिमला-2

28/5/2008

10. होटल/रैस्टोरेंट

संख्या श्रम (ए) 4-8/2006(एम. डब्ल्यू.) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि होटल/रैस्टोरेंट के अनुसूचित नियोजन की बाबत अकुशलता और अन्य वर्गों के कामगारों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों को 1.1.2008 से निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया जाए।

और यतः वेतन दर पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव जनसाधारण की सूचनार्थ/ आपत्ति के लिये अधिसूचना सम संख्या 22/1/2008 द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र दिनांक 31/1/2008 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा 2 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था।

और यतः जन साधारण से आपत्ति व सुझाव प्राप्त हुये जिन्हें सरकार स्तर पर विचारा गया।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा-1 (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के उपरान्त कथित व्यवसाय के न्यूनतम वेतन दर निम्नलिखित रूप से पुनः निर्धारित करने के आदेश देते हैं :-

कर्मकारों का वर्ग

जहां आवास या अन्य जहां आवास,खाना,चाय कोई सुविधा प्रदान आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं है है

अकुशल

हैलपर/ चौकीदार / चपडासी / स्वीपर 100.00रु0 प्रतिदिन 85.00 रु0 प्रतिदिन तथा
/मसालची / गेटमैन / माली / वाटरमैन तथा 3000.00 रु0 2550.00 रु0 प्रतिमाह
/ क्लीनर / मसेंजर / क्लैकरोम प्रतिमाह
अटेंडेंट / पोटर व्हाइट वाशर / मिस्त्री
वेलदार / फायरमैन / पांडी /
पोस्टमैन या अन्य कामगार जो अकुशल
श्रेणी का कार्य करता हो।

अर्द्ध कुशल

पैटरीमैन / काफी टी मेकर / चपातीमैन 109.00 प्रतिदिन तथा 94.00 प्रतिदिन तथा
/सहायक बेकर / कन्फैक्शनर / कुक/ 3270.00 रु0 प्रतिमाह 2820.00रु0 प्रतिमाह
सहायक हलवाई / बुक वाइंडर / सटिचर
/ रूलिंग / कटिंग / आउक्सजर /
माली (तकनीकि अनुभव वाला) होटल
गाइड / सहायक मिस्त्री / सहायक फिटर
/सहायक इलैक्ट्रीशियन / सहायक
सेल्जमैन / सहायक वारबर / घोबी /
प्रेसमैन / वायलरमैन / वाटर वीयरर
(इंडियन स्टायल) होटल / पकौडा एवं
चना मेकर / कलर्क (दसवीं कक्षा से नीचे
) सहायक स्टोर कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर /
सहायक मशीनमैन/स्युअर मैन
/वाइट-वाशर / इनक्वाअरि एटैन्डेन्ट /

टेलीफोन एटैन्डेन्ट/ आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है ।

कुशल

ड्राइवर / हलवाई / कूक कन्फैक्शनर / 126.00 रू0 प्रतिदिन 111.00रू0 प्रतिदिन तथा
बेकर स्टीवर / क्लटर ड्राफ्टसमैन / तथा 3780.00 रू0 3330.00 रू0 प्रतिमाह
टेलीफोन ओपरेटर / रिसैपशनिस्ट / प्रतिमाह
वेटर वियरर (वेस्टरन स्टाइल होटल) स्टोर
कीपर / हैड वेटर / हैड वीयरर
(वेस्टरन स्टाइल होटल) आई0टी0आई0
प्रमाण धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है
।।

उच्च-कुशल

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / 134.00रू. प्रतिदिन 119.00रू. प्रतिदिन
लेखाकार / मुख्य खजानची / हैड-कुक 4020.00 रू. प्रतिमाह 3570.00 रु प्रतिमाह
/ हैड-बटलर / हैड-बेकर /
हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक /
इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन /
सुपरवाइजर/ टेलर / कटर (टेलरिंग) ।
और ऐसे अन्य उच्च कुशल कर्मचारी जो
कि अन्य कुशल कर्मचारी के कार्य को
अच्छी तरह देख रेख एवं अच्छी तरह कार्य
करने के योग्य हों ।

टिप्पणी

1. यह दरें दिनांक 1-1-2008 से प्रभावी होंगी ।
2. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
3. शिक्षु की मजदूरी प्रशिक्षता अधिनियम,1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
4. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी समय दर आधार पर देय होगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 25: की बढ़ोतरी देय होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :—

- (1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए ।
- (2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा न उचित निर्वहन के कार्य के लिए और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता हो किन्तु उसे समुद्देशित कर्तव्यों के या सम्बन्धित छोटे इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित होगा ।
- (3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सकें । वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।

- (4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके ।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/-
अति० म० सचिव (श्रम एवं रोजगार)

DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION

Dated Shimla-2 28/5/2008

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

No.Shram (A)4-8/2006(M.W.) Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of Private Educational Institutes may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1.1.2008;

And whereas the proposal for the revision of minimum rates of wages in this employment was notified vide Notification of even number dated 22.1.2008 and published in Himachal Pradesh Rajpatra dated 31.1.2008 under Clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948(Act No. 11 of 1948), for general information and inviting objections/suggestions;

And whereas objections/suggestions were received from the general public and the same were considered at the Government level.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the State Minimum Wages Advisory Board is pleased to revise the minimum rates of wages as under:-

Un-skilled Workers	Rs.100.00 per day or	Rs.3000.00 per month
Semi-skilled	Rs.105.50 P.D. or	Rs.3165.00 per month
Skilled	Rs.113.00 P.D. or	Rs.3390.00 per month

NOTE

1. These rate shall be effective w.e.f. 01-01-2008
2. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
3. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
4. Where any class of work is performed on piece work basis, the time rate prescribed for the particular category shall be guaranteed for that category.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed

(iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

A.C.S. (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

तारीख

शिमला-2

28/5/2008

11. निजी शैक्षणिक संस्थान

संख्या श्रम (ए) 4-8/2006(एम. डब्ल्यू.) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि निजी शैक्षणिक संस्थान के अनुसूचित नियोजन की बाबत अकुशलता और अन्य वर्गों के कामगारों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों को 1.1.2008 से निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया जाए।

और यतः वेतन दर पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव जनसाधारण की सूचनार्थ/ आपत्ति के लिये अधिसूचना सम संख्या 22/1/2008 द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र दिनांक 31/1/2008 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा 2 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था।

और यतः जन साधारण से आपत्ति व सुझाव प्राप्त हुये जिन्हें सरकार स्तर पर विचारा गया।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा-1 (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के उपरान्त कथित व्यवसाय के न्यूनतम वेतन दर निम्नलिखित रूप से पुनः निर्धारित करने के आदेश देते हैं :-

अकुशल	100 रु प्रतिदिन या	3000.00रु प्रतिमाह
अर्द्ध-कुशल	105.50 रु प्रतिदिन	3165.00 रु प्रतिमाह
कुशल	113.00रु प्रतिदिन	3390.00 रुप्रतिमाह

टिप्पणी

1. यह दरें दिनांक 1-1-2008 से प्रभावी होंगी।
2. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
3. शिक्षु की मजदूरी प्रशिक्षता अधिनियम,1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
4. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी समय दर आधार पर देय होगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रैणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 25: की बढ़ोतरी देय होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (1) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए।
- (2) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा का निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे निर्णय बुद्धि कुशलता की अपेक्षा न उचित

निवर्हन के कार्य के लिए और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा किया जाता हो किन्तु उसे समुनुदंशित कर्तव्यों के या सम्बन्धित छोटे इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित रोजमर्रा के कार्यों के करने तक ही सीमित होगा ।

- (3) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्रत निर्णयों का प्रयोग दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके । वह व्यवसाय, शिल्प या उद्योग जिसमें, वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।
- (4) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य को दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके ।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
अति० मु० सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

**HIMACHAL PRADESH STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
VIPANAN BHAWAN, KHALINI, SHIMLA-171002**

NOTIFICATION

Shimla-2, the May,, 2008

No. HMB (B) 2-37/2006.— In exercise of the powers conferred by Section 85 (C) of the Himachal Pradesh State Agricultural and Horticultural Marketing Produce (Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005), H.P. State Agricultural Marketing Board with the prior approval of the State government obtained vide letter No. Agr. A (3)-2/2008, dated 28.4.2008 followed by the resolution No. 5 passed by the Board of Members in its meeting held on 22.5.2008, is hereby pleased to notify first amendment in the "H.P. State Agricultural Marketing Board (Recruitment and Conditions of Service of Officers and Staff) Regulations, 2006" by framing and notifying the Recruitment and Promotion Rules for the post of Divisional Accountant, as per annexure-A attached to this notification, namely:-

1. (i) Short title and Commencement.— (i) These Regulations may be called as " H.P. State Agricultural Marketing Board (Recruitment and Conditions of Service of Officers and Staff) (Ist Amendment) Regulations, 2008 "

2. These rules shall come into force from the date of Publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

First (i) (Classification of posts and appointments) below regulation-8 Amendment "qualification& mode of recruitment for the post of Divisional Accountant, Grade-B are specified and included in Schedule-II of aforesaid Regulations" shall be added after the R & P rules of Sweeper Class-IV, Grade-D

Sd/-
Managing Director-Cum-
Member Secretary.

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DIVISIONAL ACCOUNTANT IN THE H.P. STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD, KHALINI, SHIMLA-171002

1. *Name of the post :* Divisional Accountant.
2. *Number of posts :* 1 Nos
3. *Classification :* Grade 'B'
4. *Scale of pay (Be given in expanded Notation) :* Rs. 6400-200-7000-220-8100-275
10300-340-10640
5. *Whether Selection post Non-selection post :* Non-Selection
6. *Age. For direct recruitment :* N.A.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public sector Corporations/Autonomous Bodies.

1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchange or as the case may be.
2. Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Govt. well qualified.

7.	Minimum Educational and other qualification required for direct recruits.	(a) Essential Qualification. i) B.Com. ii) having knowledge of Computer application. (b) Desirable Qualification: i) M.Com. ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Age : Not applicable Educational Qualifications : Yes
9.	Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be order by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion from amongst the Accountant with 8 years service in the grade failing which by deputation/secondment basis or the incumbent holding analogous post in A.G. H.P. Office, Shimla-3 or any other State Govt. undertaking Board/Corporation.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer is to be made	By promotion from amongst the Accountant who possesses eight year regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade failing which on deputation/secondment basis from amongst SAS qualified from T & A Department, H.P. or the incumbent holding analogous post in the identical pay scale in A.G. H.P. or in other State government undertakings/ corporations/ Boards.

12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:	As may be constituted by the competent authority from time to time.
13.	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment:	Not applicable.
14.	Essential requirement for a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	Selection for appointment to post by direct recruitment.	N.A.
16.	Reservation:	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/scheduled tribes backward classes/other categories of persons issued by the H.P. Government from time to time.
17.	Departmental Examination.	Not applicable.
18.	Power to Relax:	Where the Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may with the prior approval of the State Govt. relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.